Manikya Lal Verma Textile & Engineering College, Bhilwara
माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल व इंजीनीयरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा

No. F.1/Gr.5(Gen)/01/2014/ 20-30 **Dated : 03.04.2018**

परिपत्र

श्री मान् संयुक्त शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय,जयपुर के पत्रांक 1(22)त.शि. / 2007 दिनाँक 18 फरवरी 2015 की पालना एवं निदेशालय, महिला अधिकारिता (महिला संरक्षण प्रकोष्ठ), जयपुर के पत्रांक. एफ16(4)(5) / निमअ / यौ.उत्पीड़न / 11 / 65765 दिनाँक 30.12.2013 के अनुसरण में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) की अनुपालना में महाविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र आदेश कमांक F.1/Gr.5(Gen)/01/2014/7290-99 दिनाँक 26-02-2015 द्वारा गठित निम्न आंतरिक शिकायत समिति में मनोनीत अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्य काल दिनाँक 27.02.2018 से तीन वर्ष के लिये बढ़ाया जाता है :

क्रम संख्या	पद	वांछित योग्यता	नाम	योग्यता
1.	अध्यक्ष	ऐसी महिला का नामांकन किया जाए जो उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत हो । यदि ऐसी वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं तो संबंधित संस्था के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाईयों में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जाएगा। यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक इकाईयों में भी ऐसी वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं तो उस नियोक्ता के अन्य कार्यस्थलों अथवा विभाग अथवा संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जावे ।	श्रीमति दीप्ति वशिष्ठ	M.Text (Textile Technology)
2.	सदस्य–2	कम से कम दो सदस्यों को उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से नामांकित किया जावे जो महिलाओं से संबंधित विषयों के प्रति कार्य करने में पर्याप्त अनुभवी एवं समर्पित हों तथा जिनको सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी हो ।	1. श्री विनोद कुमार गुप्ता 2. श्रीमति रीना रंजन भटनागर	M.Tech. (Textile Technology) M.A. and Diploma in Textile Designing
3.	सदस्य–1	ऐसी स्वंय सेवी संगठनों में से नामित किया जावे जो महिलाओं के विषयों के प्रति समर्पित हो एवं ऐसा व्यक्ति यौन शोषण के मुददे में पर्याप्त जानकारी रखता हो ।	श्रीमति अनुपमा मानसिंहका	B.A.

1. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति तिथि से अधिकतम 3 वर्ष रहेगा ।
2. स्वयं सेवी संगठनों में से नामित सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही के आयोजन के लिये मानदेय / भत्ते तथा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गयी राशि का भुगतान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध,प्रतितोष)नियम, 2013 के अनुसार देय होगा ।

कृपउ................2................

3. अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को अधिनियम की धारा 16 के विरूद्ध एवं अन्यथा जैसा अधिनियम की धारा 4 (5) में प्रदत्त है, कार्य करने पर पदच्यूत किया जा सकेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति अथवा अन्यथा उत्पन्न रिक्ति को अधिनियम के अंर्तगत नवीन नियुक्तियों से भरा जा सकेगा ।

4.अधिनियम के अध्याय VIII की धारा 21 (1) की पालना में आंतरिक शिकायत समिति के द्वारा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिये निर्धारित फॉर्म में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर नियोक्ता द्वारा जिला अधिकारी (संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) को प्रेषित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :

(vi) वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न शिकायतों की संख्या

(vii) ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया

(viii) ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है

(ix) लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्व कियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या

(x) नियोक्ता द्वारा की गयी कार्यवाही का स्वरूप

प्राचार्य

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थः

1. श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
2. श्रीमति दीप्ति वशिष्ठ, असोसिएट प्रोफेसर (टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी) एवं अध्यक्षा आंतरिक शिकायत समिति को महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3. श्री विनोद कुमार गुप्ता, असोसिएट प्रोफेसर (टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी) एवं सदस्य आंतरिक शिकायत समिति
4. श्रीमति रीना रंजन भटनागर, डिमोस्ट्रेटर एवं सदस्या आंतरिक शिकायत समिति
5. श्रीमति अनुपमा मानसिंहका, चेयरपर्सन, अक्षय आनंद फाउंडेशन समिति, महादेव कॉटन मिल के पास, पुराना बस स्टेंड रोड़, भीलवाड़ा–311001 (मोबाईल नं 9001511555) एवं सदस्या आंतरिक शिकायत समिति को महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. श्री मान् संयुक्त शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय,जयपुर को उनके पत्रांक 1(22)त.शि./2007 दिनांक 18 फरवरी 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित हैं ।
7. विभागाध्यक्ष (आई.टी) को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।
8. हॉस्टल नोटिस बोर्ड (छात्रा)
9. स्टाफ नोटिस बोर्ड

प्राचार्य

IT